



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2009/फाल्गुन 18, 1930

No. 423]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2009/PHALGUNA 18, 1930

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

का.आ. 650(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 9 मार्च, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 11 से 15 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 1-59/एफ एस एस ए/2009/डीएफक्यूसी]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2009

S.O. 650(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 9th day of March, 2009, as the day on which the provisions of Sections 11 to 15 (both inclusive) of the said Act shall come into force.

[F. No. 1-59/FSSA/2009/DFQC]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

May kindly help us in uploading the website

Sr. Tech Director,
NIC

24/03/09



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2009/फाल्गुन 18, 1930

No. 423]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2009/PHALGUNA 18, 1930

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

का.आ. 650(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 9 मार्च, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 11 से 15 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 1-59/एफ एस एस ए/2009/डीएफक्यूसी]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2009

S.O. 650(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 9th day of March, 2009, as the day on which the provisions of Sections 11 to 15 (both inclusive) of the said Act shall come into force.

[F. No. 1-59/FSSA/2009/DFQC]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

May kindly help us in uploading the notification
Sr. Tech Director,
NIC

[Signature]
23/03/09